न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 286/2017/225 आरटीए

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी ढाणी भांभूवाली (डबली बास पेमा) तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्णलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ढाणी भांभूवाली (डबली बास पेमा) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्र0सं0 367/2016 बाबत रास्ता प्रकरण

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –04.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 तहसीलदार हनुमानगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज.6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश क्रमांक एफ.12(12)राज. 16/3975/88 दिनांक 30.08.2016के प्रसंग मे अपीलांट की प.न. 73/248 मु.न. 25 कि.न. 15, 16, 25 मे रास्ता मौका पर चालू होने का कथन कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. के प्रार्थना पत्र पर प्रभावित काश्तकारो को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटस उक्त आदेश प्रत्यक्षतः व सारवान रूप से प्रभावित है इस कारण ने उक्त आदेश व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया। चक 13 जेआरके मे पत्थर लाईन 73 पर मु.न. 74/247 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व प.न. 74/248 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे ही रास्ता मौका पर चालू रहा है। अपीलांट की खातेदारी भूमि प.न. 73/248 मु.न. 25 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 से होते हुए कभी रास्ता चालू नही रहा। पटवारी हल्का ने प.न. 74/248 कि.न. 11, 20, 21 के काश्तकार से मिलीभगत कर अपनी रिपोर्ट मे उक्त कि.न. 11, 20, 21 मे चालू रास्ता न दिखाकर अपीलांट की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि प.न. 73/248 के

कि.न. 15, 16, 25 मे रास्ता चालू होने की मिथ्या रिपोर्ट की जबकि अपीलांट की उक्त भूमि कि.न. 15, 16, 25 मे आज तक कोई रास्त नही है। राज्य सरकार के आदेश भी मौका पर चल रहे रास्तो को ही गैरमुमकिन रास्त के रूप मे उर्ज करने के आदेश है। राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण मे अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने का अधिकारी नही है जिसमे रास्ता चालू ना हो। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि चक 13 जेआरके के उक्त संयुक्त खाता मे अपीलांट सं. 2 के पिता को उनके भाई हेतराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे से 1.10 बीघा भूमि का दानपत्र अर्सा एक माह पूर्व निष्पादित किया गया था इस दानपत्र के निष्पादन के सिलसिला मे इस खाता की जमाबंदी की नकल ली गई तब अपीलांट को ज्ञान हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना मे रेस्पो0 ने दिनांक 23.11.16 को अपीलांट की उक्त प.न. 73/248 मु.न. 25 कि.न. 15, 16, 25 मे इंतकाल सं. 494 के जरिये 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्त दर्ज किया हुआ है। इस तथ्य का ज्ञान होने पर अपीलांट ने दिनांक 07.07.2017 को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ है। इसलिये दिनांक 16.11.2016 से दिनांक 07.07.2017 तक की अवधि को माफ कर अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 11/7/2016 की पालना मे प्रश्नगत भूमि रास्ते के संबंध मे पटवार मण्डल डबलीबास पेमा व भू–अभिलेख निरीक्षक डबलीराठान की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू होने तथा उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे नही होने की रिपोर्ट पेश गई। जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष के पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 30.08.2016 की पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ़ का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे रेस्पो0 तहसीलदार हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./रास्ता अति0 अभियान/2016/एसपी–08 दिनांक 28.10.2016 द्वारा रास्तो पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 30.08.2016 की पालना मे पटवारी रिपोर्ट ली जाकर मुताबिक रिपोर्ट आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के प्रपत्र परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश

दिनांक 30.08.2016 की पालना मे प्रश्नगत रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिया गया। जिसमे प्रभावित पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर भी नही दिया गया। जबकि राज्य सरकार के प्रपत्र परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के मुताबिक निमित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति सम्मन द्वारा पक्षकार को दी जायेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को बिना सुने अपीलाधीन आदेश किया है जो त्रुटिपूर्ण सिद्ध होने के कारण पुष्टि किये जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2016 निरस्त किया जाकर तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर रास्ता के संबंध मे भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 बाबत रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.07.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official